UPMZ010173952018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट सं03, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार दिवाकर (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण सं0 1307/2018

राज्य

बनाम

1. नदीम पुत्र सलीम (मृतका शहजादी का पति)
   निवासी– निकट सितारा मस्जिद, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

मु0 अ 0 सं0 360/2018
धारा– 498 ए, 304 बी तथा विकल्प के रुप में 302, 504 भा0 दं0 सं0, 1860
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
थाना–शाहपुर, जनपद– मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010079322019

सत्र परीक्षण सं0 602/2019

राज्य

बनाम

1. श्रीमती सोनी पुत्री सलीम (मृतका शहजादी की नन्द)
   निवासी–निकट सितारा मस्जिद, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर।
2. श्रीमती शमशीदा पत्नी सलीम (उपशमित आदेश दिनांकित 13.07.2026)
   निवासी–निकट सितारा मस्जिद, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

मु0 अ 0 सं0 360/2018
धारा– 498 ए, 304 बी तथा विकल्प के रुप में 302, 504 भा0 दं0 सं0, 1860
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
थाना–शाहपुर, जनपद– मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2026.09.06 00:45:04 IST
Reason: Judgement
Location: ADJ/F.T.C, COURT NO.3, MZN

07.09.2026

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। सिद्धदोष नदीम न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

मैने सिद्धदोष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

सिद्धदोष के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सिद्धदोष निर्धन हैं और मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः सिद्धदोष को कम से कम दण्ड की सजा से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर श्री कुलदीप कुमार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सिद्धदोष नदीम के द्वारा मृतका शहजादी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर साशय जलाकर उसकी हत्या कारित की गयी है। **पूर्व में जनपद मुजफ्फरनगर में माफियाओं, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों का बडा आतंक था। जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में भरी अदालत में विक्की त्यागी की हत्या कर दी गयी थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर में अपराधियों को कानून का कोई डर नही था। न्यायालय में भी अपराधी मुकदमें को अनावश्यक रुप से विलम्बित करवाते थे। विलम्ब का कारण जनपद में तमाम गैंगस्टरों और माफियाओं का आतंक भी था। एक समय शौकीन गैंग का आतंक हुआ करता था। हाल ही में इसी न्यायालय के द्वारा शौकीन के भाई शाहनवाज को फांसी की सजा दी गयी है। वर्तमान में शासन की नीतियों के तहत बडे पैमाने पर अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की गयी है। जैसे– एनकाउंटर, अपराधियों की संपत्ति जब्त करना, रासुका में निरुद्ध करना आदि। उपरोक्त कार्यवाही से जिला मुजफ्फरनगर में अपराध में भारी मात्रा में गिरावट आयी है और अमन एवं शांति की स्थापना हुई है।** अतः सिद्धदोष को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाये, जिससे समाज में सही संदेश जाये।

इस संबंध मे मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं **महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर., 1987 एस.सी., 1346, पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार, ए.आई.आर., 2009, एस.सी, 391 तथा सहदेव बनाम**

जयबर उर्फ जयदेव व अन्य (2009) 11 एस.सी.सी., 798 का उल्लेख किया जाना उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि **उचित दण्ड ना देने और नरमी बरतने की प्रथा की निंदा करते हुये कहा कि ऐसे साक्ष्यों और क्रूर कृत्यों के बावजूद अभियुक्त को कानून की कडी सजा से बचने देना न्याय का मजाक होगा। कम सजा देना देश की न्याय व्यवस्था पर संदेह पैदा करेगा। आम आदमी का न्यायालयों पर से विश्वास उठ जायेगा। ऐसे मामलों में आम आदमी सुधारवादी शब्दावली की तुलना में निवारण की भाषा को अधिक समझता व सराहता है।**

इस संबंध मे मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्य विधि व्यवस्थाओं **बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 11 एस.सी.सी., 113 तथा सेवक पेरूमल बनाम तमिलनाडू राज्य, ए.आई.आर., 1991 एस.सी., 1463** का उल्लेख किया जाना उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि **अपर्याप्त सजा देने के प्रति अनुचित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचायेगी, जिससे कानून की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कमजोर होगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों को लम्बे समय तक सहन नही कर पायेगा।**

सिद्धदोष नदीम के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास हो सकेगा और अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नगत मामले में न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में अधिकतम दण्ड, मृत्यु दण्ड दिया जाना विधिक दृष्टि से सही है अथवा नहीं? इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना उचित समझता हूँ–

1– विधि व्यवस्था **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए0आई0आर0, 1983 एस0सी0 957** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि विरल से विरलतम मामलों में किसी अपराधी को मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिये। मृत्युदण्ड देने से पहले अपराध की प्रकृति तथा अपराध की परिस्थितियों के साथ–साथ अपराधी की परिस्थितियों पर भी भली प्रकार से विचार करना चाहिए। आजीवन कारावास एक नियम है। जबकि मृत्युदण्ड दिया जाना एक अपवाद है। इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

2– विधि व्यवस्था **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए0आई0आर0, 1980 एस0सी0 898** में माननीय उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गयी। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त को सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध में फाँसी की सजा दी गयी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी पुष्ट कर दिया था। उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु यह प्रश्न था कि क्या अवर न्यायालयों के द्वारा मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 की उपधारा 3 के अंतर्गत क्या अपेक्षित विशेष कारण लिखने होंगें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में संक्षेप में निम्नलिखित विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये –

ए– किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा होती है और यह दर्शाने के लिए सबूत का भार उस पक्षकार पर होता है, जो यह कहता है कि उपरोक्त प्रावधान संवैधानिक सिद्धान्तों का उल्लघंन करता है।

बी– सामान्य विधायी नीति, जो हमारी दाण्डिक विधि, मुख्य रूप से आई0पी0सी0 तथा सी0आर0पी0सी0 की संरचना में अंतर्विहित है, पर्याप्त स्पष्टता के साथ अपराध को परिभाषित करना तथा उसके लिए केवल अधिकतम दण्ड विहित करना तथा दण्ड की मात्रा नियत करने के मामले में न्यायाधीश को व्यपाक विवेकाधिकार प्रदान करना है।

सी– **आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances) तथा परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियाँ (Mitigating circumstances) को जिनपर अपराधी को दण्डादेशित करते समय विचार किया जाना चाहिए, को सर्वांगीण रूप से प्रमाणित करना सम्भव नहीं है।** फिर भी कुछ दृष्टान्तों का उल्लेख किया जा सकता हो–

(I) <u>आवर्धक अर्थात् उत्तेजक परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances)</u> – आवर्धक अर्थात् उत्तेजक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हो सकती है–

ए– हत्या सुनियोजित थी और किसी महा अपराध के अनुक्रम में हुई है।

बी– अभियुक्त के पास हत्या कारित करने का पर्याप्त हेतुक था।

सी– हत्या विशेष रूप से जंघन्य, पाश्विक तथा क्रूर थी।

डी– अभियुक्त ने जानबूझकर अपने आशयित कृत्य के माध्यम से अनेक व्यक्तियों को घातक शारीरिक क्षति तथा मृत्यु का बड़ा जोखिम सृजित किया।

(II) <u>परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी परिस्थितियाँ (Mitigating circumstances)</u>– परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी परिस्थितियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं–

ए– अभियुक्त द्वारा अपराध अतिमानसिक अथवा आवेश के अधीन किया गया है।

बी– अभियुक्त की आयु यदि, अभियुक्त बालक अथवा वृद्ध है, तो उसे मृत्युदण्ड नहीं प्रदान किया जायेगा।

सी– यह सम्भावना कि अभियुक्त हिंसा का कोई ऐसा अपराधिक कृत्य कारित नहीं करेगा, जो समाज को सततक्षति कारित करे।

डी– यह सम्भावना कि अभियुक्त को सुधारा तथा पुनर्वासित किया जा सकता है।

ई– अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में अथवा प्रभाव के अधीन अपराध किया है।

एफ– अभियुक्त की दशा यह दर्शाती है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था।

न्यायालय को किसी भी प्रकरण में मृत्युदण्ड देते समय उपरोक्त दोनों परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

क– भारत में किसी आपराधिक प्रकरण में क्या दण्ड दिया जायेगा यह न्यायाधीशों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।

ख– अंततः भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के प्रावधान इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन नहीं है कि यह न्यायाधीशों पर मृत्युदण्ड तथा आजीवन कारावास का दण्डादेश प्रदान करने में अमार्गदर्शित और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्रदान करता है।

3– विधि व्यवस्था **निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए0 आई0 आर0, 1999 एस0 सी0 1221** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त

प्रतिपादित किया कि सामूहिक हत्या के मामले विरल से विरलतम श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे मामलों में मृत्युदण्ड दिया जा सकता है।

4– विधि व्यवस्था **धनन्जय चटर्जी बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, (1994) 2 एस0सी0सी0 220** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि न्यायालय को अभियुक्त के अधिकारों के अलावा पीड़ित तथा समाज के अधिकारों को भी देखना चाहिए।

5– विधि व्यवस्था **शंकर लाल बनाम तमिलनाडू राज्य,** 1994(4) **एस0सी0सी0** 478 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि हत्या के लिए निर्धारित दो दण्डादेशों में से एक का चयन प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का उपयोग न्यायिकता तथा मामले के आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियों (Aggravating circumstances) तथा परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियों (Mitigating circumstances) में संतुलन बनाकर मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहिये।

6– विधि व्यवस्था **त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य, ए0आई0आर0, 1989 एस.सी. 1335** में माननीय उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष अभियुक्तगण ने सेशन न्यायालय द्वारा दी गयी फाँसी की सजा जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्ट कर दिया था, किन्तु सिद्धदोषों को मृत्युदण्ड देने में विलम्ब हुआ था। सिद्धदोषों ने मुख्यतः मृत्युदण्ड देने में हुए विलम्ब को कारावास की सजा में परिवर्तन करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड के बारे में निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं–

ए– मृत्युदण्ड के निष्पादन में मात्र देरी मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि देरी हुई है, तो दण्ड पाया व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय से अनुतोष पा सकता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखकर अपने विवेकानुसार निर्णय लेगा।

बी– **मृत्युदण्ड कब दिया जाये तथा कब ना दिया जाये, इसके लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित किये जा सकते। यह भी विवेकाधिकार न्यायालय का है, किन्तु यदि न्यायालय मृत्युदण्ड देना आवश्यक समझता है, तो उसे इसके विशेष कारण देने होगें।**

सी– मृत्युदण्ड किसी कैदी को एकान्त कारावास में रखना ना तो अतिरिक्त दण्ड है और ना संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन।

7– विधि व्यवस्था **मुकेश व अन्य बनाम दिल्ली राज्य (एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली) व अन्य, ए0आई0आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट –2161**, जिसे **निर्भया केस** के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की **फुल बेंच (तीन सदस्यीय)** ने मृत्युदण्ड के संबंध में निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये–

ए– न्याय की मांग है कि न्यायालय अपराध के अनुरूप दंड लगाये, ताकि यह अपराध के प्रति जनता की घृणा को दर्शाये।

बी– **पुरूषोत्तम दशरथ बोराटे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**(2015) 6 **एस0सी0सी0 652** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि अभियुक्त की आयु या अभियुक्त की पारिवारिक पृष्ठ भूमि या आपराधिक पृष्ठ भूमि का अभाव, अपराध को कम करने वाली परिस्थितियाँ अर्थात् परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियाँ (Mitigating circumstances) नहीं कही जा सकती है।

सी– **जहाँ कोई अपराध अत्यधिक क्रूरता के साथ किया जाता है और समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देता है वहाँ न्यायालय को मृत्युदण्ड अवश्य देना चाहिए। भले ही मृत्युदण्ड की वांछनीयता के बारे में न्यायालय की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। ऐसे मामलों में मृत्युदण्ड ना देकर न्यायालय बड़े पैमाने पर समाज के साथ अन्याय कर सकती हैं।**

अतः न्यायालय को मृत्युदण्ड देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये।

दया एक मानवीय गुण हैं, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम में इसका घोर अभाव है, क्योंकि मृतका शहजादी की हत्या साशय उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर कारित की गयी है।

किसी महिला को जलाकर उसकी मृत्यु कारित करना मात्र उसके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उसके मानवीय अस्तित्व, गरिमा और जीवन के मूल अधिकार पर अत्यंत क्रूर आघात है। आग की लपटों में किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होना अपने आप में ऐसी पीड़ा और असहायता को व्यक्त करता है जिसकी गंभीरता को केवल शब्दों में पूर्णतः अभिव्यक्त करना कठिन है।

किसी व्यक्ति को जीवित अवस्था में आग के हवाले कर उसकी मृत्यु कारित करना अपराध के अत्यंत क्रूर, अमानवीय एवं भयावह स्वरूप को प्रदर्शित करता है। अग्नि से होने वाली शारीरिक पीड़ा और उससे उत्पन्न भय की कल्पना मात्र से ही इस अपराध की गंभीरता परिलक्षित होती है। अतः अपराध के तरीके को उसके समग्र स्वरूप और गंभीरता के आकलन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में मृतका ऐसी स्थिति में थी जहाँ उसके पास स्वयं को बचाने अथवा तत्काल सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं था। किसी व्यक्ति की ऐसी असहाय अवस्था का लाभ उठाकर उसके जीवन को समाप्त करना अपराध की गंभीरता को और बढ़ाता है। पीड़िता की vulnerability अपराध के manner of commission का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्नगत प्रकरण में जिस तरह से सिद्धदोष नदीम के द्वारा अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जलाकर साशय हत्या की गयी है, हत्या का यह तरीक अत्यंत निर्मम एवं पाश्विक है। अदालत के द्वारा यदि दण्ड देते समय ऐसे सिद्धदोष के प्रति सहानुभूति दर्शित की जायेगी तो यह भविष्य में इस बात की मिसाल बन जायेगा कि कोई भी विवाहित पति अपनी पत्नी को जिन्दा जलाकर मार दे और न्यायालय उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करे। इसलिये प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम को मृत्युदण्ड दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ऐसी सोच के व्यक्तियों में भविष्य में सुधरने की संभावना ना के बराबर होती है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय प्रदान करना भी है। मृतका स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं है, अतः उसके साथ घटित

अपराध की परिस्थितियों, उसकी पीड़ा और उसके विधिक अधिकारों को साक्ष्य एवं कानून के अनुरूप उचित consideration प्रदान करना न्याय के उद्देश्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्नगत प्रकरण में जिस तरह से सिद्धदोष नदीम के द्वारा अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जलाकर साशय हत्या की गयी है, हत्या का यह तरीक अत्यंत निर्मम एवं पाश्विक है। इस तरह के मामलों में न्यायालय के द्वारा दण्ड के संबंध में नरमी बरते जाने से समाज में गलत संदेश जायेगा। इसलिये प्रश्नगत प्रकरण में मृत्युदण्ड दिया जाना एकमात्र विकल्प है।

दंड निर्धारित करते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता के साथ–साथ उसके commission का manner भी महत्वपूर्ण है। यदि अपराध अत्यधिक क्रूरता, अमानवीयता अथवा असाधारण हिंसा के साथ किया गया हो और ऐसी परिस्थितियाँ विधि एवं साक्ष्य से स्थापित हों, तो वे दंड निर्धारण के प्रश्न पर प्रासंगिक हो सकती हैं। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना ही नहीं, बल्कि विधि के प्रति समाज के विश्वास को बनाए रखना और भविष्य में समान अपराधों को रोकने के लिए उचित deterrent effect *उत्पन्न करना भी है। तथापि, दंड सदैव अपराध की सिद्ध प्रकृति, परिस्थितियों और लागू विधिक सिद्धांतों के अनुरूप तथा* proportionate *होना चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम के द्वारा पूर्व योजना के तहत साशय अपनी पत्नी मृतका शहजादी के ऊपर पहले मिट्टी का तेल डाला गया और फिर आग लगाकर उसकी निर्मम हत्या कारित की गयी। अतः सिद्धदोष नदीम के द्वारा मृतका शहजादी का हत्या करने का तरीका पूर्व नियोजित एवं अत्यधिक निर्मम था। इसलिये ऐसे प्रकरण में मृत्युदण्ड दिये जाने से ही समाज में अच्छा संदेश जायेगा और भविष्य में कोई भी पति अपनी पत्नी को जिन्दा जलाकर हत्या करने के बारे में सौ बार सोचेगा अर्थात् प्रश्नगत प्रकरण में मृत्युदण्ड भविष्य में होने वाले अपराधों के संबंध में निवारक का काम भी करेगा।*

किसी महिला को जलाकर उसकी मृत्यु कारित किया जाना अपराध के उस स्वरूप को सामने लाता है जिसमें पीड़िता को केवल जीवन से वंचित नहीं किया जाता, बल्कि उसे अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, भय और असहायता से गुजरना पड़ता है। आग का प्रयोग मृत्यु का केवल माध्यम नहीं, बल्कि ऐसी यातना का कारण भी बन सकता है जिसकी गंभीरता को सामान्य शब्दों में मापा जाना कठिन है।

एक महिला का जीवन केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके साथ उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और मानवीय पहचान भी जुड़ी होती है। किसी महिला को हिंसक तरीके से जलाकर उसकी मृत्यु कारित करना उसके जीवन पर अंतिम आघात के साथ–साथ उसकी मानवीय गरिमा के प्रति भी गंभीर अवमानना को प्रदर्शित करता है। आपराधिक न्याय का उद्धेश्य केवल यह निर्धारित करना नहीं है कि मृत्यु किसने कारित की, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कानून ऐसे कृत्य को उसके वास्तविक स्वरूप और गंभीरता में देखे। प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम के द्वारा जिस निर्ममता से अपनी पत्नी शहजादी को साशय जानबूझकर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या की गयी है वह अपराध की गंभीरता को उसके उच्चतम शिखर तक पहुंचा देता है, जिसमें सिद्धदोष नदीम को मृत्युदण्ड दिया जाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है।

कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी गंभीरता को केवल कानूनी धाराओं और साक्ष्य की भाषा में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। किसी जीवित अबला महिला का आग की लपटों में घिरना, सहायता के लिए संघर्ष करना और अंततः जीवन खो देना ऐसी मानवीय त्रासदी है जो अपराध के परिणाम से कहीं अधिक व्यापक पीड़ा को दर्शाती है। न्यायालय भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं करता, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि अपराध की मानवीय गंभीरता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए। न्यायिक विवेक का दायित्व यही संतुलन स्थापित करना है।

<u>प्रश्नगत प्रकरण में जिस तरह से सिद्धदोष नदीम के द्वारा अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जलाकर साशय हत्या की गयी है, हत्या का यह तरीक अत्यंत निर्मम एवं पाश्विक है। अदालत के द्वारा यदि दण्ड देते समय ऐसे सिद्धदोष के प्रति सहानुभूति दर्शित की जायेगी तो यह भविष्य में इस बात की मिसाल बन जायेगा कि कोई भी विवाहित पति अपनी पत्नी को जिन्दा जलाकर मार दे और न्यायालय उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करे। इसलिये प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम को मृत्युदण्ड दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है।</u>

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या जिस प्रकार से की गई है, वह मात्र जीवन से वंचित करने का सामान्य कृत्य नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला अत्यंत क्रूर, वीभत्स एवं अमानवीय अपराध है। जिस व्यक्ति से पीड़िता को सुरक्षा, विश्वास और संरक्षण की अपेक्षा थी, उसी पति द्वारा उसे जानबूझकर आग के हवाले कर जीवित जलाकर मृत्यु के मुख में पहुँचा देना अपराध की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देता है। आग से जलने की पीड़ा, मृत्यु से पूर्व सहन की गई शारीरिक एवं मानसिक यातना तथा पीड़िता की उस स्थिति में स्वयं को बचाने की असहायता इस अपराध को साधारण हत्या से कहीं अधिक जघन्य बनाती है। यह कृत्य न केवल पीड़िता के जीवन और गरिमा पर आघात है, बल्कि वैवाहिक विश्वास एवं उस सामाजिक संस्था के प्रति भी गंभीर आघात है, जिसमें पति–पत्नी एक–दूसरे की सुरक्षा और सहारे के लिए अपेक्षित होते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष ने सुनियोजित एवं जानबूझकर इस क्रूर तरीके से हत्या की, उसमें किसी प्रकार का आकस्मिकता, क्षणिक आवेश अथवा ऐसा पर्याप्त शमनकारी कारण नहीं था जो उसके कृत्य की गंभीरता को कम कर सके, तथा उसके सुधार एवं पुनर्वास की वास्तविक संभावना भी दृष्टिगत नहीं होती, तो अपराध की प्रकृति, उसके क्रियान्वयन की बर्बरता, पीड़िता की असहाय स्थिति और समाज पर उसके प्रभाव को समग्रता में देखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह मामला 'अति–दुर्लभतम में दुर्लभ' (rarest of rare) श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में आजीवन कारावास का विकल्प न्याय के उद्देश्यों की

पूर्ति के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता है, इसलिये प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष को मृत्युदण्ड दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा एक महिला की साशय मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या की गयी है। प्रश्नगत मामले में सिद्धदोष नदीम मृतका शहजादी का पति है। प्रश्नगत मामला मुस्लिम समाज में निकाह नामक पवित्र संस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। मुस्लिम समाज में निकाह नामक संस्था का बड़ा महत्व है।

हजरत मोहम्मद साहब का कथन है कि '' निकाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते हैं वे मेरे अनुयायी नहीं हैं। ''

मुस्लिम समाज में निकाह को एक बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है। मुस्लिम विधि की प्रसिद्ध पुस्तक रघुल मोहतार में यह कहा गया है कि ''बाबा आदम (ईसाई समुदाय के लोग बाबा आदम को Adam नाम से पुकारते है) के समय से आज तक हम लोगों के लिए रखा गया और जन्नत में भी होने वाला कोई ऐसा इबादत का कार्य नहीं है, सिवाय निकाह और इमान के। ''

मुस्लिम एवं ईसाई समाज में 'बाबा आदम (Adam)को बड़ा महत्व दिया गया है। 'हजरत आदम' जिन्हें बाबा आदम (Adam) भी कहा जाता है, को इस्लाम तथा ईसाई धर्म में मानव जाति का आदि पुरूष अर्थात् प्रथम मानव माना जाता है और यह भी माना जाता है कि समस्त मानव जाति की उत्पत्ति बाबा आदम (Adam)से ही हुई है।

ऐसा माना जाता है कि खुदा (God) को सारी सृष्टि अर्थात् पशु-पक्षी, फरिश्ते, देव, जिन्न आदि रचने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। तब खुदा (God) ने अपनी आकृति के समान एक प्राणी बनाने का निश्चय किया। मिट्टी को पानी में सानकर खुदा (God) ने एक पुतला बनाया और उसमें आत्मा डालकर मानव उत्पन्न किया और उसे रहने के लिए जन्नत में जगह भी दे दी। यही हजरत आदम अर्थात् बाबा आदम (Adam) कहलाये।

बाबा आदम (Adam) को उत्पन्न करने के बाद खुदा (God) ने फरिश्तों को आज्ञा दी कि तुम सब इसे सिजदा करो अर्थात् बाबा आदम (Adam) के आगे सर झुकाओ। सब फरिश्तों ने खुदा (God) की इस आज्ञा का पालन किया, किन्तु अजाजील नामक एक फरिश्ते ने इसे अपमानजनक समझकर बाबा आदम (Adam) के सामने सर झुकाने से इंकार कर दिया। इस पर खुदा (God) फरिश्ते अजाजील से बहुत नाराज हुये और अजाजील को स्वर्ग से निकल जाने की आज्ञा दे दी। बाबा आदम (Adam) अर्थात् इंसान के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि खुदा (God) ने उस समय बाबा आदम (Adam) को इतना महान प्राणी समझा कि खुदा (God) ने बाबा आदम (Adam) अर्थात् एक इंसान के प्रति एक फरिश्ते अजाजील के द्वारा की गयी गुस्ताखी अर्थात् जब फरिश्ते अजाजील ने बाबा आदम (Adam) को सिजदा करने से इंकार कर दिया, तो यह बात खुदा (God) से सहन से नहीं हुई और खुदा (God) ने फरिश्ते अजाजील को

स्वर्ग अर्थात् जन्नत से निकाल दिया। इस संबंध में मिर्जा गालिब ने कहा भी है कि -

‘‘ है आज क्यों जलील ? कि कल तक न थी पसन्द,

गुस्ताखिए -फरिश्ता हमारी जनाब में ।’’

स्वर्ग अर्थात् जन्नत से तो फरिश्ता अजाजील को निकलना पड़ा, किन्तु निकलने से पहले अजाजील ने खुदा (God) से कहा कि जिस बाबा आदम (Adam) पर तू इतना गर्व करता है, मैं उसे और उसकी औलाद को बहकाकर उनसे पाप करवाऊँगा और उन्हें तेरे विरूद्ध करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। तब से फरिश्ते अजाजील का नाम इब्लीस अर्थात् शैतान पड़ा। हजरत आदम बहुत दिनों तक अकेले रहते रहे। अकेले रहते-रहते बाबा आदम (Adam) बहुत उदास रहने लगे। खुदा (God) ने यह महसूस किया कि बाबा आदम (Adam) को एक जीवन साथी की जरूरत है, साथी मिलने पर बाबा आदम (Adam) उदास नहीं रहेंगे। बस खुदा (God) ने बाबा आदम (Adam) की बायीं पसली से एक नारी उत्पन्न कर दी, जिसका नाम हव्वा (ईसाई समुदाय के लोग हव्वा को Eve के नाम से जानते है)पड़ा। यही मानव जाति की आदि-नारी अर्थात् प्रथम महिला अथवा आदि-माता हैं। खुदा (God) ने बाबा आदम (Adam) और हव्वा (Eve) को बुलाकर कहा कि तुम आनन्द से स्वर्ग अर्थात् जन्नत में साथ-साथ रहो और जहां चाहो घुमो-फिरो और स्वर्ग के जो भी फल आदि खाना चाहो खाओ। फिर गेहूँ के पेड़ (ईसाई परम्परा के

<u>अनुसार यह पेड़ ज्ञान का था, किन्तु कई जगह उसे सेब का पेड़ माना गया है) की ओर इशारा करके खुदा (God) ने कहा-बस इस पेड़ का एक फल अर्थात् दाना तुम्हारे लिए वर्जित है, उसे मत खाना। शैतान तो बाबा आदम (Adam) और हव्वा (Eve) को बहकाने और उनसे खुदा (God) की आज्ञा की अवज्ञा कराने की फिराक में रहता ही था। शैतान ने एक दिन अवसर पाकर हव्वा (Eve) के मन में गेहूँ खाने की तीव्र लालसा पैदा कर दी। हव्वा (Eve)ने बाबा आदम (Adam) से कहा कि हमने इस पेड़ का फल नहीं खाया है, आओ इसे चख कर देखें। बाबा आदम (Adam) ने हव्वा (Eve)को बहुत मना किया, किन्तु हव्वा (Eve)तो शैतान की बहकाई हुई थी, इसलिए उसने बाबा आदम (Adam) की बात नहीं मानी और केवल स्वंय ही गेहूँ का दाना नहीं खाया अपितु बाबा आदम (Adam) को भी मोहब्बत की भावनाओं में बहला कर गेहूँ खाने को विवश कर दिया और बाबा आदम (Adam) ने हव्वा (Eve) की बातों में आकर भावनाओं में बहकर गेहूँ खा लिया। खुदा (God) ने जब देखा कि बाबा आदम (Adam) और हव्वा (Eve)ने उनकी आज्ञा का उल्लघंन कर दिया है, तो खुदा (God) बहुत नाराज हुए और उन्होंने बाबा आदम (Adam) और हव्वा (Eve)को बुलाकर स्वर्ग से निकलने की आज्ञा दे दी। इसी संदर्भ में मिर्जा गालिब ने यह शेर भी लिखा है-</u>

‘‘ <u>निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन</u>
<u>बहुत बे-आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।</u> ’’

स्वर्ग से निकाले जाने के बाद बाबा आदम (Adam) को हव्वा (Eve)के साथ पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़े, किन्तु हव्वा (Eve), बाबा आदम (Adam) की धर्म-पत्नी थीं तथा बाबा आदम (Adam) हव्वा (Eve)से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी पर तमाम मुसीबत झेलने के बाद भी हव्वा (Eve)को एक शब्द तक नहीं कहा। ऐसी थी प्रथम आदि- पुरूष तथा आदि-माता की प्रेम कहानी। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में सिद्धदोष नदीम एक पति है और उसने बाबा आदम (Adam) के आचरण के विपरीत जाकर अपनी ही पत्नी मृतका शहजादी की निर्मम हत्या मिट्टी का तेल डालकर जलाकर कारित की है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुस्लिम धर्म में जिस तरह सात स्वर्ग (जिसे अरबी में जन्नत कहा जाता है) माने जाते हैं, उसी तरह सात नरक (जिसे फारसी में दोजख कहते हैं) भी माने गये हैं, जो एक दूसरे के नीचे स्थित हैं। सातवें दोजख को जहन्नुम कहते हैं। दोजखों में पापियों को घोर यातनॉए दी जाती हैं, किंतु प्रत्येक निचले दोजख में यातनॉए बढ़ती जाती हैं। इस्लामी परम्परा के अनुसार जो धार्मिक आज्ञाओं, नियमों और कर्मकांड का पालन नहीं करेगा उसे खुदा (God) कयामत के दिन दोजख में भेजेगा। इस्लामी मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करेगा वह जहन्नुम अर्थात दोजख में भेजा जायेगा। सिद्धदोष नदीम ने अपनी पत्नी की हत्या की है, जो कानूनी दृष्टि से तो अपराध है ही वरन् धार्मिक दृष्टि यह कृत्य गुनाह भी है।

इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख किया जाना उचित समझता हूँ कि 'आदमी' शब्द की उत्पत्ति 'आदम' शब्द से ही हुई है। भारत वर्ष में 'आदि-मनु' को 'आदि-पुरूष' माना जाता है और इसी शब्द से 'मनुष्य तथा मानव' शब्दों की उत्पत्ति हुई है। चूँकि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन है इसलिए यह सम्भव है कि 'आदि-मनु' शब्द ही बदलकर 'आदिम' बना और फिर 'आदिम' का रूप 'आदम' हो गया।

पति-पत्नी का संबंध प्यार-मोहब्बत पर आधारित होता है। इस संबंध में मैं ''लैला-मंजनू'' तथा ''शीरी-फरहाद'' के प्यार-मोहब्बत के किस्सों का उल्लेख किया जाना आवश्यक समझता हूँ, जो कि प्रेम संबंधों के संबंध में यह बताते हैं कि प्रेम अर्थात् मोहब्बत में किसी की जान ली नहीं जाती है, ऐसा होता है प्रेम का संबंध अथवा पति-पत्नी का संबंध।

'' लैला-मंजनू की कहानी सातवीं सदी की अरब देश की अमर प्रेम कहानी है। लैला-मंजनू के किस्से का अंत ऐसे होता है कि मंजनू की जब शादी लैला से नहीं हो पाती है और शादी न होने के कारण लैला अपने प्राण दे देती है और जब मंजनू को यह समाचार मिलता है, तो वह दौड़ता हुआ लैला की कब्र पर पहुँचता है और उस पर गिर कर अपनी भी जान दे देता है। लैला-मंजनू के प्रेम का यह किस्सा सारे संसार में विख्यात है। ''
अर्थात् मंजनू ने लैला की मोहब्बत में अपनी जान दे दी, किन्तु

उसने किसी की जान ली नहीं। इस संबंध में किसी शायर ने क्या खूब कहा है-

'' सहने चमन में भी रहे हम-दोश हुस्नो-इश्क,

लैला को फूल और मंजनू को कांटा बना दिया। ''

''फारस की एक बडी प्रसिद्ध और अमर प्रेम कहानी है शीरी और फरहाद। शीरी-फरहाद के किस्से का अंत ऐसे होता है कि फरहाद को यह झूठा समाचार भिजवा दिया जाता है कि शीरी मर चुकी है। यह सुनते ही फरहाद घोर दुख और निराशा से शीरी का तीन बार नाम लेकर अपना सिर फोड़ डालता है और जान दे देता है। शीरी को जब फरहाद की मृत्यु का सामाचार मिलता है, तो शीरी भी अपनी जान दे देती है। कहा जाता है कि दोनों को पास-पास दफनाया गया है। ''

उपरोक्त दोनों किस्से यह सिद्ध करते हैं कि प्रेम अर्थात् मोहब्बत में किसी की जान नहीं ली जाती, क्योंकि पति-पत्नी का संबंध प्रेम-मोहब्बत पर आधारित होता है। यह प्रकरण उक्त पति-पत्नी के संबंध पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, क्योंकि सिद्धदोष नदीम ने अपनी पत्नी शहजादी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर साशय हत्या की है।

न्यायालय की यह भी जिम्मेदारी है कि वह भावी पीढ़ी के लिए अच्छे मूल्य और मार्गदर्शन स्थापित करे। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद ने कहा था– '' किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड उस राष्ट्र का महिलाओं के प्रति व्यवहार है। '' महिलाओं के खिलाफ अपराध न

<u>*केवल महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक विकास की गति को भी बाधित करता है।*</u>

<u>*दंड के प्रश्न पर विचार करते समय इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिद्धदोष ने उस महिला की हत्या की है जिसके प्रति उसके संबंध की प्रकृति ही ऐसी थी कि वह उसके जीवन, सुरक्षा एवं सम्मान का संरक्षक और विश्वस्त माना जाता था। पति–पत्नी का संबंध केवल सामाजिक अथवा वैधानिक संबंध नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास, सुरक्षा एवं सहारे पर आधारित संबंध है। ऐसे संबंध में स्थित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को जानबूझकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जीवित जला देना अपराध की गंभीरता को असाधारण रूप से बढ़ा देता है। यह केवल मृत्यु कारित करने का कृत्य नहीं है, बल्कि मृत्यु से पूर्व पीड़िता को अत्यंत तीव्र शारीरिक पीड़ा, भय, असहायता और मानसिक यातना से गुजरने के लिए विवश करने वाला कृत्य है। मृतका शहजादी जिस व्यक्ति से संरक्षण की अपेक्षा रखती थी, उसी द्वारा उसके विश्वास का इस प्रकार घोर दुरुपयोग किया जाना अपराध की Aggravating Circumstances को और अधिक गंभीर बनाता है।*</u>

इस संबंध में मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था Jagdish s/o Asha Ram v. State of Rajasthan, 1986 (1) WLN 262 (Rajasthan High Court) decided on 29.11.1985, का उल्लेख करना उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी पति द्वारा अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जीवित जलाने का मामला था। उक्त मामले में न्यायालय ने इस तथ्य को विशेष महत्व दिया कि पीड़िता एक युवा एवं असहाय पत्नी थी, घटना रात्रि के समय ऐसे स्थान पर की गई जहाँ उसके बचाव के लिए तत्काल कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, अभियुक्त स्वयं उसका पति और विश्वास की स्थिति में था तथा उसने केरोसिन डालकर आग लगाकर उसे जीवित जला दिया। न्यायालय ने Machhi Singh v. State of

Punjab, (1983) 3 SCC 470 में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए यह माना कि हत्या की वह पद्धति जिसमें पीड़ित को जीवित जलाने अथवा 'roast alive' करने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, अपराध की manner of commission को असाधारण रूप से क्रूर एवं वीभत्स बनाती है। उक्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय ने Trial Court द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त मानते हुए अभियुक्त की सजा को मृत्युदंड में परिवर्तित कर दिया।

उक्त निर्णय का मूल सिद्धांत वर्तमान मामले में भी प्रासंगिक है। यदि अभियोजन साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्त ने पीड़िता पर जानबूझकर केरोसिन अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ डाला, उसे आग लगाई और उसे जीवित जलने के लिए छोड़ दिया, तो यह अपराध के केवल परिणाम की नहीं, बल्कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए चुने गए साधन की भी भयावहता को प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से यदि पीड़िता को बचने का अवसर नहीं दिया गया, उसे पहले किसी प्रकार से असहाय बनाया गया, सहायता के लिए उसके प्रयासों की उपेक्षा की गई अथवा उसे समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ये परिस्थितियाँ अपराध की गंभीरता को और अधिक बढ़ाने वाली Aggravating Circumstances होंगी। मृत्यु का ऐसा तरीका जिसमें पीड़िता मृत्यु से पूर्व जलने की असहनीय पीड़ा से गुजरती है, अपराध को मात्र हत्या से आगे ले जाकर अमानवीय एवं Diabolical रूप प्रदान कर सकता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि Machhi Singh v. State of Punjab, (1983) 3 SCC 470 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या की manner of commission को मृत्युदंड के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक माना है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया कि यदि पीड़िता के घर में उसे जीवित जलाने अथवा 'roast alive' करने के उद्देश्य से आग लगाई जाती है, अथवा पीड़िता को मृत्यु कारित करने के लिए Inhuman acts of torture or cruelty के अधीन किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ अत्यंत गंभीर aggravating circumstances हो सकती हैं। अतः वर्तमान मामले में पीड़िता को जीवित जलाने की पद्धति, यदि जानबूझकर मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से अपनाई गई सिद्ध होती है, तो यह अपराध की क्रूरता के मूल्यांकन में

स्वतंत्र एवं अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है। प्रश्नगत प्रकरण में भी सिद्धदोष नदीम के द्वारा अपनी पत्नी मृतका शहजादी की जलाकर साशय निर्मम हत्या की गयी है।

न्यायालय का भारत की महान् जनता से यह प्रश्नगत है कि क्या किसी अबला नारी को जिन्दा जलाकर मारने वाले व्यक्ति के साथ न्यायालय को कैसा व्यवहार करना चाहिये? क्या ऐसा व्यक्ति सहानूभुति का हकदार है? इस न्यायालय के मतानुसार ऐसा व्यक्ति कतई सहानूभुति का हकदार नही है और उसे अधिकतम सजा अर्थात् मृत्युदण्ड दिया जाना ही उचित दण्ड है।

इस संबंध मे मैं मृतका शहजादी की उसके पति सिद्धदोष नदीम के द्वारा जिस तरह से जिन्दा जलाकर निर्मम हत्या की गयी है, वह पति–पत्नी के संबंधों और निकाह नामक संस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है। उपरोक्त सिद्धदोष की निर्ममता तथा मृतका की आवाज को निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया जा सकता हैः–

"जिस निकाह को रहमत,
साथ और अमानत का रिश्ता समझकर उसने अपनाया था,
उसी रिश्ते में,
उसकी सांसों को आग के हवाले कर दिया गया।
जिस शख्स को उसने ,
अपना हमसफर और अपना महफूज ठिकाना समझा,
वही उसकी जिंदगी का कातिल बन बैठा।
आग ने उसका जिस्म तो राख कर दिया,
मगर उसके साथ किया गया भरोसा और वह निकाह का वादा
उम्र भर के लिये सवाल छोड गया।"

मृत्युदण्ड अपराधियों में भय उत्पन्न करता है और भविष्य में होने वाली हत्याओं को रोकता है। समाज में हमेशा अपराधियों को गैर कानूनी गतिविधियों से रोकने के लिये दण्ड का उपयोग किया है। चूंकि समाज का सर्वोपरी हित हत्या को

रोकना है। इसलिये हत्या को रोकने के लिये उपलब्ध सबसे कठोर दण्ड अर्थात् मृत्युदण्ड का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि समाज में अमन–चैन बना रहे और जो व्यक्ति कानून का सम्मान नही करते है, ऐसे व्यक्तियों में कानून का भय दिखे और वे ऐसी आपराधिक घटनाओं में शामिल होने से पहले सौ बार सोचें।

मृतका शहजादी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाकर उसकी हत्या कर देना न केवल एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार का निर्मम हनन है, बल्कि यह समाज में भय, असुरक्षा एवं कानून के शासन के प्रति चुनौती उत्पन्न करने वाला अत्यंत जघन्य अपराध है। ऐसा कृत्य मानवता के मूल्यों के विपरीत है तथा इससे समाज की सामूहिक अंतरात्मा आहत होती है। न्यायालय का यह दायित्व है कि ऐसे अपराधों में, जहाँ अभियोजन द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध कर दिए गए हों, अपराध की प्रकृति, उसकी क्रूरता, पूर्व नियोजन तथा उसके सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुरूप उपयुक्त एवं प्रभावी दंड प्रदान करे, ताकि न्याय की स्थापना हो, पीड़ित (Victim) पक्ष को न्याय मिले तथा समाज में यह स्पष्ट संदेश जाए कि ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति कानून किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतेगा।

इस संबंध में मेरे द्वारा जेल अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर को उपरोक्त सिद्धदोष के बाबत Aggravating circumstances और Mitigating circumstances की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। इसी अनुक्रम में रिपोर्ट कागज संख्या 32ख/1 ता 32ख/6 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि बन्दी नदीम का व्यवहार/आचरण सामान्य/संतोषजनक रहा है। उपरोक्त बन्दी के द्वारा स्वेच्छया से कोई कार्य ना करने का विकल्प का चयन किया गया है। इसलिये कोई श्रम नही कराया गया। बन्दी का शारीरिक स्वास्थ ठीक पाया गया तथा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होना नही पाया गया और बन्दी के शारीरिक स्वास्थ की वर्तमान स्थिति सामान्य है। बन्दी को कोई मानसिक समस्या नही है।

प्रश्नगत प्रकरण में मृतका शहजादी की सिद्धदोष नदीम द्वारा साशय जिन्दा जलाकर हत्या की गयी है, जो कि अत्यंत पाश्विक एवं निर्मम है। प्रश्नगत प्रकरण में अपराध की ग्रेविटी इससे समझी जा सकती है कि मृतका शहजादी की उम्र लगभग 23 वर्ष थी और सिद्धदोष नदीम के द्वारा ठंडे दिमाग और पूर्व नियोजित योजना के

तहत मृतका शहजादी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर निर्मम हत्या कारित की गयी है और हत्या कारित करने का तरीका इतना जघन्य था कि मृतका शहजादी 98 प्रतिशत जली हुई थी। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियाँ सिद्धदोष के अपराध के संबंध में आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances) हैं। जबकि सिद्धदोष ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सिद्धदोष नदीम ने अपनी उम्र 30 वर्ष बताई है। न्यायालय के द्वारा सिद्धदोष नदीम की भावभंगिमा को देखा गया है, जिससे न्यायालय को कभी यह नहीं लगा कि सिद्धदोष को अपने किये गये अपराध का पश्चाताप हो। जोकि ऐसी परिस्थितियाँ है जिससे सिद्धदोष के अपराध को परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियाँ (Mitigating circumstances) हैं।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचना के दृष्टिगत न्यायालय के मतानुसार आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियों (Aggravating circumstances) तथा परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियों (Mitigating circumstances) के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियों (Aggravating circumstances) का पलड़ा न्यायालय की राय में भारी पाया जाता है। प्रश्नगत मामले में ऐसी कोई परित्राणकारी अर्थात् शमनकारी अर्थात् अपराध को घटाने वाली परिस्थितियाँ (Mitigating circumstances) परिलक्षित नहीं होती है, जो सिद्धदोष के कृत्य को, विरल से विरलतम (Rarest of rare) अपराध की परिधि से बाहर ले जा सके। सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध से संबंधित आवर्धक अर्थात् उत्तेजक अर्थात् अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances), समाज पर पडने वाले दुष्प्रभाव को इंगित करती हैं, उनके दृष्टिगत सिद्धदोष नदीम द्वारा कारित अपराध, विरल से विरलतम (Rarest of rare) अपराध की श्रेणी में आता है।

न्यायालय में यह शब्द बार–बार सुना जाता है और चर्चा का विषय भी बना रहता है कि "वादकारी का हित सर्वोपरी है।" क्या आपराधिक न्याय प्रणाली में वादकारी के हित से आशय

सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त के हित और अधिकारों से है और क्या पूरा सिस्टम अभियुक्त के ही अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा? क्या वादकारी की परिभाषा में Victim/पीडित/वादी मुकदमा का कोई हित व अधिकार नही है? क्या सेशन प्रकरणों में जोकि गंभीर मामलों से संबंधित होते है, उनमे वादी मुकदमा राज्य सरकार होती है, क्या राज्य सरकार का हित/अधिकार नही देखा जायेगा? Victim/पीडित/वादी मुकदमा का हित नही देखा जायेगा? आम व्यक्ति उपरोक्त बातों को समझ सके, इसके लिये यह उदाहरण दिया जा रहा है।

उदाहरण– शामली जनपद में दिनांकित 26.08.2026 को हरियाणवी सिंगर श्री अंकित बालियान की बदमाशों/अपराधियों के द्वारा दिन–दहाडे 20 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाकर शाम को निर्मम हत्या कर दी गयी। क्या उपरोक्त प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ अभियुक्तगणों के हित व अधिकारों की बात ही वादकारी के रुप में होगी? क्या स्वर्गीय अंकित बालियान के माता–पिता, पत्नी, परिवार, जो कि पीडित है, उनके हित को और अधिकारों को नही देखा जायेगा और उन्हें वादकारी की परिभाषा में शामिल नही किया जायेगा, क्या वादकारी की परिभाषा मे सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को ही शामिल किया जायेगा और क्या पूरा आपराधिक न्याय प्रणाली का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अभियुक्तगण के अधिकारों/हितों को ही देखेगा? क्या सेशन मामलों में वादी मुकदमा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार होती

है, उसका हित/अधिकार नही देखा जायेगा? क्या बिना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सुने स्वर्गीय अंकित बालियान के अभियुक्तों /हत्यारों को न्यायालय के चयन करने का अधिकार होगा? क्या स्वर्गीय अंकित बालियान के माता–पिता/पत्नी/परिवार वाले/वादी मुकदमा अर्थात् राज्य सरकार, जोकि पीडित पक्ष है, उनको नही सुना जायेगा? पीडित का कोई हित व अधिकार आपराधिक न्याय प्रणाली मे नही होगा?

प्रश्नगत प्रकरण मे एक अबला महिला की जिन्दा जलाकर साशय निर्मम हत्या की गयी है। मैं भारत की महान् जनता से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह आग कब बुझेगी? कब तक अबला महिलाओं को जलाकर मारा जाता रहेगा और पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वादकारी का हित सर्वोपरी है, में सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त का ही हित और अधिकार देखेगा? क्या Victim/पीडित/वादी मुकदमा का वादकारी के रुप में कोई हित व अधिकार नही देखा जायेगा?

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप कुमार के द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जनपद मुजफ्फरनगर में माफियाओं, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों का बडा आतंक था। जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में भरी अदालत में विक्की त्यागी की हत्या कर दी गयी थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर में अपराधियों को कानून का कोई डर नही था। न्यायालय में भी

अपराधी मुकदमें को अनावश्यक रुप से विलम्बित करवाते थे। विलम्ब का कारण जनपद में तमाम गैंगस्टरों और माफियाओं का आतंक भी था। एक समय शौकीन गैंग का आतंक हुआ करता था। हाल ही में इसी न्यायालय के द्वारा शौकीन के भाई शाहनवाज को फांसी की सजा दी गयी है। न्यायालय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप कुमार के उपरोक्त तर्कों से पूर्णतः सहमत है। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर विक्की त्यागी की हत्या दिनांक 16.02.2015 में पेशी के दौरान जिला न्यायालय, मुजफ्फरनगर में ए.डी.जे. कोर्ट के अंदर ही ताबड–तोड गोलियाँ बरसाकर की गयी थी। ए.डी.जे. कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील के भेष में विक्की त्यागी पर ताबड–तोड गोलियाँ बरसाकर उसकी हत्या की गयी थी। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराधी बेखौफ थे और उन्हें कानून व अदालत का कोई भी डर नही था।

उल्लेखनीय है कि जनपद चित्रकूट में मेरे द्वारा अभियुक्त अब्बास अंसारी पुत्र स्व0 मुख्तार अंसारी के प्रकरण का भी विचारण किया गया। यह बताने की जरुरत नही है कि स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का नेटवर्क कहाँ तक था। इसी तरह जनपद बरेली में मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगा 2010 का मास्टर माइंड मानते हुये तलब किया गया। अभियुक्त तौकीर रजा का नेटवर्क भी किसी से छिपा नही है।

मेरे द्वारा जनपद चित्रकूट में दिनांकित 10.10.2025 को कुख्यात अपराधी/डकैत ठोकिया का विशेष सत्र परीक्षण 40/2012 राज्य बनाम कलेश आदि निर्णीत किया गया था, जिसमें दोषसिद्धि की गयी थी। उपरोक्त निर्णय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त ठोकिया के प्रकरण में गवाह पी.डब्लू.6 वारिजा लाल का बयान दिनांकित 07.10.2013 को अंकित किया गया था तथा लगभग 11 वर्ष पश्चात् दिनांकित 19.09.2024 को गवाह पी.डब्लू.7 श्याम लाल के बयान अंकित हुये थे। जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उपरोक्त ठोकिया गैंग के आतंक के कारण सुनवाई में इतना विलम्ब हुआ कि 11 वर्ष के अंतराल में बयान हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि माफिया/गैंगस्टरों के द्वारा कैसे डरा–धमकाकर न्यायिक कार्यवाही को विलम्बित किया जाता है और एक लोक सेवक में किस तरह से डर का माहौल उत्पन्न किया जाता है।

डर के माहौल को मेरे द्वारा बनारस में किया गया ज्ञानवापी प्रकरण (मूलवाद संख्या 693/2021 श्रीमती राखी सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि) प्रकरण से समझा जा सकता है। जिसके बाद से मुझे व परिवारवालों को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और यह धमकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जरिये फोन पर भी दी गयी है। इसी अनुक्रम में मुकदमा अपराध संख्या 280/2022 अंतर्गत धारा 153 ए, 153 बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860, थाना कैन्ट, जिला वाराणसी अज्ञात

अभियुक्त के विरुद्ध दिनांकित 08.06.2022 को पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त मुकदमे की कायमी इस्लामिक आगाज मूवमेंट के पत्र के आधार पर करवायी गयी थी।

इस संबंध में आतंकवादी अदनान खान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ए.टी.एस. के द्वारा भी मुकदमा अपराध संख्या 6/2024 अंतर्गत धारा 115,153 ए, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 वादी मुकदमा एस.आई. (ए.टी.एस.) श्री प्रभाकर ओझा के द्वारा थाना ए.टी.एस., गोमती नगर, लखनऊ में दिनांकित 03.06.2025 को अभियुक्त अदनान खान पिता गुलफाम मियां, पता–नवी बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत के विरुद्ध पंजीकृत करवाया गया, जिसमें अभियुक्त अदनान खान के द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट के द्वारा ज्ञानवापी प्रकरण के मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर को यह धमकी दी गयी थी कि "THE KAFIRS BLOOD IS HALAL FOR YOU THOSE WHO FIGHT AGAINST YOUR DEEN" अर्थात काफिर का खून तुम्हारे लिए हलाल है, जो तुम्हारे दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं तथा न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर की फोटो लगाकर उनके फेस की आँखों के ऊपर लाल रंग से काफिर लिखा गया है तथा इस पोस्ट को काफी लोगो के द्वारा देखा गया है एवं इस पोस्ट के द्वारा अपनी विचारधारा से जुडे हुए लोगो को ज्ञानवापी मामले की

सुनवाई कर रहे न्यायाधीश श्री रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने के लिए दुष्प्रेरित किया गया।

दिनांकित 24.10.2025 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल ने दो आई.एस.आई.एस. (इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एण्ड सीरिया) से जुडे दो आतंकवादियों को केन्द्रीय एजेंसियों के सहयोग से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आतंकवादी उपरोक्त अदनान खान है। आई.एस.आई.एस. एक जिहादी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। आई.एस.आई.एस. से काफी बडी तादाद में आतंकवादी तथा अन्य आतंकवादी संगठन भी जुडे हुये है।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी में इस्लामिक आगाज मूवमेंट के पत्र के आधार पर मुकदमे की कायमी तथा ए.टी.एस. के द्वारा लखनऊ में किये गये मुकदमे की कायमी की भाषाशैली लगभग एक प्रकार की है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा धर्म विशेष के लोगों का ब्रेन वॉश करके मेरे व मेरे परिवार की हत्या हेतु दुष्प्रेरित किया जा रहा है तथा मुझे काफिर घोषित कर, मेरे व मेरे परिवार की हत्या करने के लिये षडयंत्र रचा जा रहा है। इन सबके बावजूद स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा में बराबर लापरवाही बरती जा रही है और सुरक्षा को बरेली की अपेक्षा कम कर दिया गया है और पुलिस अधिकारियों को यह लगता है कि वह सुरक्षा देकर कोई एहसान कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की हत्यायें भी हुई है, जैसे– 20 मार्च 1982 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह तथा उनके पंद्रह वर्षीय बेटे श्री अजीत प्रताप सिंह की हत्या जनपद चित्रकूट में कर दी गयी थी। इसी प्रकार दिनांक 27 जनवरी 2001 को तात्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीमपुर खीरी, स्वर्गीय बालक राम की हत्या, जिसमें तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी तथा दिनांक 28 जुलाई 2021 को मार्निंग वॉक के दौरान धनबाद, झारखण्ड में ए.डी.जे., स्वर्गीय उत्तम आनंद की हत्या की गयी, जिसमें दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायाधीश, जो गंभीर प्रकरणों में सुनवाई करते हैं उनको बराबर जान का खतरा बना रहता है और सुरक्षा के नाम पर उनके पास कुछ नही होता। इसीलिये न्यायाधीशों को असामाजिक तत्वों के द्वारा सॉफ्ट टारगेट बनाना आसान होता है।

इस न्यायालय के अनुभव के आधार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माफियों/गैंगस्टरों/अपराधियों के द्वारा अपराध करने का तरीका एक–सा नही है। पूर्वांचल में अपराध करने का तरीका एकदम अलग है, बुंदेलखंड में अपराध करने का तरीका उससे भिन्न है तथा पश्चिमी यू.पी. में अपराध करने का तरीका बिल्कुल

ही अलग है। वर्तमान समय में मैं कुछ व्यवहार से बहुत आहत व दुःखी हूँ। इस संबंध में मैं अपने व्यक्तिगत विचार भी व्यक्त करने से अपने आपको नही रोक पा रहा हूँ। पता नही जिन लोगों ने मेरे साथ यह व्यवहार किया है वह भगवान में विश्वास करते है या नही, लेकिन जो व्यवहार उन्होने मेरे साथ किया है, जब वह अपनी अंतरात्मा में झाकेगें तो अपने आपको कभी माफ नही कर पायेगें। क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को बेवकूफ नही बना सकता। ऐसा व्यवहार करने का कारण माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों को बचाना है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी मुझे है, लेकिन इस वक्त बोलना ठीक नही होगा, क्योंकि पद की भी मर्यादा होती है।

उपरोक्त घटना के बाद मुझे पश्चिम के एक माफिया/गैंगस्टर के द्वारा संपर्क कर यह संदेश भी भिजवाया गया कि अभी तो सिर्फ पत्रावलियों को ही हटवाया गया है। अगर हमारे पीछे पडे या कोई टिप्पणी की तो हम अपने प्रभाव का प्रयोग करके कोर्ट चेंज करवा देगें या जिले से बाहर ट्रांसफर करवा देगें, क्योंकि हमारे संपर्क उच्चतर स्तर पर है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ बहुत बडे माफियाओं/बाहुबलियों को जातीय संरक्षण के साथ–साथ राजनैतिक संरक्षण भी प्राप्त है और उनका नेटवर्क काफी ऊपर व दूर–दूर तक है तथा उनको लगता था कि कोई अदालत उनके

बारे में कोई भी कार्यवाही नही कर सकती है अथवा लिख नही सकती।

मुझे मेरे माता–पिता के द्वारा प्रारंभ से ही यह शिक्षा दी गयी है कि सदैव भगवान से डरो और अन्य किसी व्यक्ति से नही। अतः मैं ईश्वरीय शक्ति के सिवाय यदि अन्य शक्तियों जैसे– बाहुबलियों/माफियाओं/अपराधियों से भयग्रस्त होने लगूंगा तो आम जनता जो न्यायालय पर विश्वास करके आती है कि न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर व निर्भीक होगें तथा बेखौफ होकर न्यायिक कार्य करेगें, पूर्णतः असंगत हो जायेगा। यदि मैं अन्य कोई शक्तियों जैसे– माफियाओं/बाहुबलियों/अपराधियों से भयग्रस्त हुआ तो मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं इस पवित्र न्यायिक संस्था से त्यागपत्र दे दूँ। "मैं मरना पंसद करूँगा, डरपोक जज कहलवाना नही पसंद करूँगा।" जब तक मैं अपने सिद्धान्तों पर चल सकता हूँ। तब तक सर्विस करूँगा अन्यथा त्यागपत्र दे दूँगा। जब तक मैं जज की कुर्सी पर हूँ तो फैसला/निर्णय लेने का अधिकार भी एकमात्र मेरा ही होगा।

उल्लेखनीय है कि महाभारत में "धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बडा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया और कहा कि यह

जानते हुये कि हम सबको एक दिन मर जाना है, इन्सान तमाम उम्र कभी ना मरने की कामना करता है।

धर्मराज युधिष्ठिर ने तो भौतिक काया के प्रति मनुष्य की इच्छा को रेखांकित किया है, मगर जिस व्यक्ति ने भी उनके उत्तर का मर्म समझा है, वह अपने कर्म से अमरतत्व पाने में जुट गया है।"

किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिये यह एक गंभीर संकट होता है जब न्यायाधीश माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों के डर, दबाव या प्रभाव में न्याय करने में असमर्थ होते है। इससे पूरी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि माफिया/गैंगस्टर/अपराधी बेखौफ हो जाते है और कमजोर तथा निर्दोष लोगों को बली का बकरा बना दिया जाता है। जब समाज में माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों का बोल–बाला हो जाता है तो कानून का शासन अर्थात् रूल ऑफ लॉ की जगह "जिसकी लाठी उसकी भैंस" का नियम लागू होने लगता है, जिससे लोकतांत्रिक बुनियाद हिल जाती है। किसी भी राज्य में जब माफियाओं/गैंगस्टरों/अपराधियों का प्रभाव हो जाता है तो उस राज्य में कोई भी बडी कंपनी, विदेशी निवेशक आदि पैसा नही लगाना चाहते। व्यापारी विवादों में सही न्याय ना मिलने के डर से उस राज्य का आर्थिक विकास रुक जाता है।

न्यायालय के मतानुसार जब सिस्टम ईमानदारी से काम नही करता है अर्थात् कानून व नियमों के मुताबिक काम नही

करता है तो गरीब कमजोर आदमी ही Suffer करता है और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे– बाढ में सबसे ज्यादा Suffer आम गरीब आदमी ही करता है, यदि सिस्टम अपना कार्य ईमानदारी से नही करता है अर्थात् नियम–कानूनों के अनुसार नही करता है। भारत में आम गरीब व्यक्ति को रुल ऑफ लॉ से ही राहत मिल सकती है। अराजकता से मजबूत आदमी को ही राहत मिलेगी।

कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। एक ही कानून को दो व्यक्तियों पर अलग–अलग लागू नही किया जा सकता। कानून के सामने दो व्यक्तियों से एक–ही व्यवहार होना चाहिये। जैसे– माफियाओं/बाहुबलियों/अपराधियों के लिये अलग कानून लागू किया जाये तथा आम आदमी के लिये अलग तरीके से कानून लागू किया जाये। आज दुनिया में दान की बजाय न्याय की ज्यादा जरुरत है। न्याय की गैर हाजिरी में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही रह जाता। लोगों को सख्त नियमों से कोई तकलीफ नही होती है, लेकिन उन्हें इस बात से जरुर नाराजगी/तकलीफ है कि न्याय में समानता नही है अर्थात् न्याय किसी को दिया जाता है और किसी को नही।

दौराने बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर श्री कुलदीप कुमार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जनपद मुजफ्फरनगर में तमाम गैंगों का आंतक था और भाडे पर हत्यायें होती थी। वर्तमान में शासन की नीतियों के तहत बडे पैमाने पर अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की

गयी है। जैसे– एनकाउंटर, अपराधियों की संपत्ति जब्त करना, रासुका में निरुद्ध करना आदि। न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त तर्क सही है क्योंकि पूर्व में जनपद मुजफ्फरनगर में संगठित अपराध, गैंगवार, अपहरण, फिरौती, फिरौती के लिये हत्या, अवैध हथियारों की तस्करी, भाडे पर हत्यायें आदि गंभीर अपराधों के कारण मीडिया ने जनपद मुजफ्फरनगर की नकारात्मक छवि उभारते हुये इसे उत्तर प्रदेश का क्राईम कैपिटल (Crime Capital of U.P.) कहा था। मुजफ्फरनगर को क्राईम कैपिटल कहे जाने का कारण उस समय के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सक्रिय आपराधिक गिरोह इस जिले में प्रभाव रखते थे। गन्ना बेल्ट होने के कारण यहां आर्थिक हितों, ठेकों और भूमि विवादों से जुडे हिंसक संघर्ष भी होते रहते थे। क्षेत्र में उस समय तक राजनैतिक संरक्षण और अपराध के गठजोड की भी चर्चा होती रही। साल 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान जिले में कई लोगों की हत्यायें हुई और दंगे को शांत करने के लिये फौज तक बुलानी पडी थी। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर में अपराधियों का बोल–बाला और राजनेताओं से साँठ–गाँठ पर आधारित वेब सीरीज "भौकाल" तथा "भौकाल–2" भी बनायी गयी है, जिसमें उस समय के एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध पर नियंत्रण की कहानी दिखायी गयी है और खादर के शौकीन गैंग को भी दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि शौकीन के छोटे भाई शाहनवाज को इसी न्यायालय के द्वारा दिनांकित 12.08.2026

को फांसी की सजा दी गयी है, क्योंकि उसके द्वारा अपने भाई शौकीन, अहसान व अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यापारी सालिम की फिरौती के लिये अपहरण कर निर्मम हत्या की गयी थी। चूंकि गैंग लीडर शौकीन तथा उसके शूटर अहसान पर विगत 22–23 वर्ष पहले पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था और उपरोक्त पत्रावली में केवल शौकीन का छोटा भाई शाहनवाज का ही विचारण हो रहा था। उल्लेखनीय है कि नब्बे के दशक में शौकीन गैंग तथा उसके भाई शाहनवाज का मुजफ्फरनगर में आतंक था। शौकीन गैंग ने गंगा के खादर में चम्बल के भीहड जैसा टेरर/भौकाल खडा कर दिया था। उपरोक्त गैंग फिरौती वसूलने में तथा फिरौती ना मिलने पर हत्या करने में माहिर माना जाता था। चूंकि फिल्में/वेब सीरीज समाज का आईना होती है, इसलिये उपरोक्त वेब सीरीज से तात्कालीन मुजफ्फरनगर जिले के अपराध को समझा जा सकता है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, सिद्धदोष के अपराध की प्रकृति, अपराध की गम्भीरता, अपराध का समाज पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव तथा सिद्धदोष नदीम के द्वारा जिस तरीके से अपनी पत्नी मृतका शहजादी की मिट्टी का तेल डालकर, जिन्दा जलाकर साशय हत्या की गयी है, वह अत्यन्त ही पाश्विक एवं निर्मम है। अतः ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में सिद्धदोष नदीम द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम (Rarest of Rare) श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में सिद्धदोष नदीम को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में मृत्युदण्ड (Capital Punishment) एवं 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड की सजा से तथा धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा।

दण्डादेश

1– सिद्धदोष नदीम को सत्र परीक्षण संख्या–1307/2018, मुकदमा अपराध संख्या–360/2018, थाना–शाहपुर, जिला– मुजफ्फरनगर, अंतर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में मृत्युदण्ड (Capital Punishment) तथा 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने की स्थिति में सिद्धदोष को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त सिद्धदोष को फाँसी के फन्दे पर तब तक लटकाया जाये, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये (He be Hanged by the neck till he is dead)।

2– सिद्धदोष नदीम को सत्र परीक्षण संख्या–1307/2018, मुकदमा अपराध संख्या–360/2018, थाना–शाहपुर, जिला– मुजफ्फरनगर, अंतर्गत धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध में दो वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

3– प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष की जेल में बितायी गयी अवधि को उसकी मूल सजा में समायोजित किया जायेगा तथा सभी सजायें साथ–साथ चलेंगीं।

4– सिद्धदोष का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, मुजफ्फरनगर अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

5– सिद्धदोष नदीम को दिये गये मृत्युदण्ड के आदेश का निष्पादन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के अंतर्गत दण्डादेश की पुष्टि होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

6– सामान्य नियमावली(दाण्डिक), 1977 के नियम 64 (सामान्य नियमावली, दाण्डिक, 1977 के नियम 67) के परिपत्र संख्या 47 दिनाँकित 23 अप्रैल, 1958 के अनुपालन में मृत्युदण्डादेश की पुष्टि हेतु मामले को नियमानुसार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

7– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 363(4) के अनुपालन में न्यायालय द्वारा सिद्धदोष जिसे मृत्युदण्ड का आदेश दिया गया है, उसे यह बताया गया कि वह अधिकारपूर्वक इस निर्णय के विरूद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियमानुसार 30 दिवस की अवधि के अंदर अपील कर सकता है।

8– सिद्धदोष को उक्त निर्णय एवं आदेश की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।

9– वाद लिपिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

10– इस निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति सत्र परीक्षण संख्या 602/2019 राज्य बनाम शमशीदा आदि में रखी जाये।

इस निर्णय की प्रति इस आशय के साथ मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक भवन, लखनऊ को प्रेषित की जाये कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सत्र मामलों में जोकि गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें वादी मुकदमा राज्य सरकार होती है, जोकि पीडित की ओर से ही पैरवी करती है और यदि उपरोक्त सत्र पत्रावलियाँ किसी एक न्यायालय से बिना किसी कारण के दूसरे न्यायालय में अपराधियों/बाहुबलियों/अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के आशय से अंतरित की जाती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार जनपद के जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिले, जिससे भविष्य में अपराधी/माफिया/बाहुबली अपनी पसंद के न्यायालय का चुनाव ना कर सके। वाद लिपिक अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करे तथा निर्णय की प्रति जरिये ई–मेल से भी भेजना सुनिश्चित करे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार दिवाकर)
दिनांक- 07.09.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
कोर्ट संख्या–03, मुजफ्फरनगर।
जे.ओ कोड– UP01828

यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2026 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रवि कुमार दिवाकर)
दिनांक- 07.09.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
कोर्ट संख्या–03, मुजफ्फरनगर।
जे.ओ कोड– UP01828

टाईपकर्ताः– विदुषी गौतम (आशुलिपिक)